न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—157/2015
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 188 व 53 आरटीए

1. आशारानी पत्नी नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी व तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 अशोक 1/2 भूपेन्द्र 1/3 सीमादेवी	पि. आशारानी पत्नी नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र पूर्णमल जाति अग्रवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. विजयसिह पुत्र तेजासिह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुनिता
4. नीतू

} पुत्रियां गुड्डी देवी जाति सुनार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5. एसबीबीजे बैंक शाखा संगरिया।
6. बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया।
7. उप—पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग संगरिया
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति

1. श्री भीम सिह अधिवक्ता—वादीगण
2. श्री संजीव बिश्नोई अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 1
3. राज—पैरोकार— प्रतिवादी संख्या 8 व 9

निर्णय दिनांक :— 27.6.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है।

चक 3 एमएमके के जमाबन्दी सम्वत 2068—71 के खाता संख्या 5/27 के कुल सांझाा खाता 0.506 है मे से 0.253 है. कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि को लेकर रास्ता खाला की सुविधानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विचरित प्रावधानो के तहत घरू बंटवारा कर लिया था घरू बंटवारा में मिली भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की बिना किसी बाधा के शानित पूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। घरू बंटवारा के रोज से हम वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार है वादीगण का हिस्सा 0.190 है. व प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दराम का हिस्सा 0.063 है. चक एमएमके जमाबन्दी सम्वत 2068—71 खाता संख्या 5/27 पं.नं. 164/199 मु.नं. 30 किला नं. 20/0.253 है. वादी भूमि घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण व सांझा खाता में दर्ज होने के कारण रकम राज आबयाना व पानी की बारी इत्यादि को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। जबकि वादीगण घरू बंटवारा अनुसार अपने हक व हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि का खाता अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। गत सप्ताह वादीगण ने सहखातेदारों से निवेदन है कि वो घरू बंटवारा अनुसार हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि का

खाता अलग कायम करवा देवे तो वो पहले तो आजकल–2 कतरे रहे परन्तु कल ऐसा करने से स्पष्ट् ईन्कार हो गये और धमकी दी कि हम तो सांझा खाता में अपने हिस्से का बैचार कर आपके कब्जा काश्त के किला पर कब्जा करवायेगें। बस यही वाद करण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की तलबी साधारण सम्मन, रजिस्ट्रर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सहमति का इकबालदावा/जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिलस किया गया। साक्ष्य वादी में वादी अशोक कुमार की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वाद के साथ आशादेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 सहकाश्तकार होना बतलाते हुए वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश करने एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 सहकाश्तकार है। सहखातेदारों के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है एवं मौका पर कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 उपस्थित नहीं होने व भूमि में सह खातेदार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के हित को ध्यान में रखते हुए वादीगण के वादपत्र में तहसीलदार संगरिया से मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित नजरी नक्शा मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि समस्त काश्कारों की उपस्थिति में विधि सम्मत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर चक 3 एमएमके के खाता संख्या 5/27 खाता जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के समस्त सह–काश्तकारो के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयारकर भिजवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को लिखा जावे। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–157 / 2015

1 आशारानी पत्नी नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी व तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 अशोक
1/2 भूपेन्द्र
1/3 सीमादेवी
} पि. आशारानी पत्नी नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र पूर्णमल जाति अग्रवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. विजयसिह पुत्र तेजासिह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुनिता
4. नीतू } पुत्रियां गुड्डी देवी जाति सुनार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. एसबीबीजे बैंक शाखा संगरिया।
6. बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया।
7. उप–पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग संगरिया
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीम सिह वादी मिन जामिन मुदई संजीव बिश्नाई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादी में प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि चक 3 एमएमके के खाता संख्या 5/27 खाता जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के समस्त सह–काश्तकारो के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयारकर तहसीलदार संगरिया पेश करे। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के साथ आगामी दिनांक...........................को पेश हो।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 27.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

अपवादित खाता निस्तारण
शिविर संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–157/2015

2 आशारानी पत्नी नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी व तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 अशोक
1/2 भूपेन्द्र
1/3 सीमादेवी
} पि. आशारानी पत्नी नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

9. गोविन्दराम पुत्र पूर्णमल जाति अग्रवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. विजयसिह पुत्र तेजासिह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. सुनिता
12. नीतू
} पुत्रियां गुड्डी देवी जाति सुनार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. एसबीबीजे बैंक शाखा संगरिया।
14. बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया।
15. उप–पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग संगरिया
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीम सिह छिम्पा वकील वादी मिन जामिन मुदई संजीव बिश्नोई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिग्री दी जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक 3341 दिनांक 13.09.2019 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन बदस्तुर रखते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......................मुब्लिक......................बाबत......................खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......................को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.28 16:25:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: